GRPI-174/26-8-05-DCGRPI-3,00,000 Forms

II-155
C.J.

ORDER SHEET

THE COURT

आपराधिक प्रकरण कमांकः– 02/2020

राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र देपालपुर **वि0** धीरज

Date of Order of Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
04/01/2020	आरक्षी केन्द्र देपालपुर की ओर से आरक्षक श्रीपाल कमांक 530 द्वारा अपराध कमांक 01/2020 में आरोपी धीरज S/O सीताराम, उम्र-26, जाति कुमार, निवासी आक्यासौंदा देपालपुर के विरूद्ध धारा 34(1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अभियोग पत्र के परिशीलन उपरांत धारा 190(1)(ख) द.प्र.स. के अधीन मामले का संज्ञान लिया गया। अभियोग पत्र न्यायालय की नियमित दांडिक प्रकरणों की पंजी में विधिवत पंजीबद्ध किया जावे। धारा 207 द.प्र.स. के अनुपालन में अभियुक्त को अभियोग एवं प्रपत्रों की प्रतिलिपि दिलाई गई। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति विधिवत मालखाना विभाग में जमा की जावे। आरोपी आज स्वंय उपस्थित है। उसके प्रकट किया है कि वह स्वंय अपना पक्ष समर्थन करते हुये अपराध स्वीकारोक्ति करना चाहते है। अभियुक्त को यह समझाया गया कि वह स्वीकारोक्ति के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह अपराध स्वीकारोक्ति करता है तो उसके विरूद्ध उपयोग में लिया जाकर उसके कारावास के दंडादेश से भी दंडित किया जा सकता है। इस पर अभियुक्त का कहना है कि वहा स्वेच्छया बिना किसी भय दबाव व लालच के अपराध स्वीकार करना चाहता है। तदनुसार संक्षिप्त विचारण प्रकिया अपनाकर संक्षिप्त विचारण संबंधी प्रपत्र पर अभियुक्त को धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति की। तदनुसार स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को उक्त अपराध के लिये न्यायालय अवसान तक के कारावास व 1400/-(एक हजार चार सौ) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त ने आरोपित अर्थदण्ड की राशि रूपये 1400/– ई पैमेंट 0070 1203 पर जमा की जिसे उसकी रसीद प्रदान की गई। निष्कर्ष नियमित आपराधिक पंजी में अंकित कर समयावधि में प्रकरण विधिवत तैयार कर अभिलेखागार प्रेषित किया जावे। **जे0एम0एफ0सी देपालपुर** **पुनःश्च** अभियुक्त का न्यायालय उठने तक की सजा भुगताई जाकर प्रत्यक्ष में रिहा किया गया। **जे0एम0एफ0सी देपालपुर**	धीरज पंचाल धीरज पंचाल